

कार्यालय:- जन सूचना अधिकारी,
केंद्रीय लुगदी एवं कागज़ अनुसंधान संस्थान,
सहारनपुर।

नं.सीपीपीआरआई/आरटीआई/2018/02(आई)/262

दिनांक: 16.4.2018

श्रीमती रीता टंडन,
वैज्ञानिक-जी,
सीपीपीआरआई,
सहारनपुर।

विषय: सूचना अधिकार अधिनियम-२००५ के अंतर्गत प्राप्त प्रार्थना पत्र दिनांकित 23.3.2018 के संबंध में.

महोदय,

कृपया अपने प्रार्थना पत्र दिनांकित 23.3.2018 जो कि सूचना का अधिकार, अधिनियम - 2005 के अंतर्गत इस संस्थान को प्रेषित है का संदर्भ लें।

इस संबंध में सूचनीय है कि आप द्वारा वांछित सूचना संबंधी एक पत्र दिनांक 16.4.2018, संस्थान के प्रभारी-आई.टी. अनुभाग से प्राप्त हुआ है जिसके एक प्रति इस पत्र के साथ संलग्न की जाती है।

भवदीय,

(एम. के. गुप्ता)

जन सूचना अधिकारी

संलग्नक: यथोक्त।

प्रतिलिपि सूचनार्थ :

निदेशक, केन्द्रीय लुगदी एवं कागज़ अनुसंधान संस्थान, सहारनपुर

S/C

Ranesh

आई. टी. अनुभाग

दिनांक : 16.4.18

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम - 2005 के अंतर्गत श्रीमती रीता टंडन , वैज्ञानिक जी, सीपीपीआरआई , सहारनपुर से संस्थान मे प्राप्त प्रार्थना पत्र दिनांकित 23.03.2018 के संबंध मे ।

प्रार्थिनी श्रीमती रीता टंडन, वैज्ञानिक 'जी' के द्वारा दिनांक 06.03.2018 साँय 5.30 बजे से रात्रि 8.30 बजे तक संस्थान के मेन गेट की सी.सी.टी.वी. की फुटेज देने हेतु सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत मांग की गयी है। इस संदर्भ मे यह सूचित करना है कि हमारे सी.सी.टी.वी. सॉफ्टवेयर मे केवल 7-8 दिन की फुटेज रिकॉर्ड में उपलब्ध रहती है। श्रीमति रीता टंडन , वैज्ञानिक - जी द्वारा 23.3.18 को दिनांक 6.3.18 साँय 5.30 बजे से रात्रि 8.30 बजे तक की सी.सी.टी.वी. फुटेज की मांग की गयी है। उक्त अवधि की सी.सी.टी.वी फुटेज उपलब्ध नहीं है।

डॉ. आर. डी. गोदियाल

डॉ. आर. डी. गोदियाल
प्रभारी आई. टी. अनुभाग

✓ श्री एम. के. गुप्ता
वैज्ञानिक एफ
जन सूचना अधिकारी

Revised on

Amf.
16/4/2018.